1	2	3	4
4.	Rajasthan	7050	7210
5.	Jammu & Kashmir	7050	7210
6.	Delhi	6790	7110
7.	Maharashtra		
	(Bombay,	6980	7300
	Mahim, etc.,	6680	7000
	Rest of Maharashtra		
8.	Madhya Pradesh	6680	7000
9.	Gujarat (Kandla/		
	Rozi/Okha/	6980	7300
	Bhavnagar)*	6680	7000
	Rest of Gujarat		
10.	Kerala (Cochin,		
	etc.,)*	6980	7300
	Rest of Kerala	6680	7000
11.	Tamil Nadu (Madras,		
	Cuddalore, Tuticorin,		
	Pondicherry)*	6980	7300
	Rest of Tamil Nadu	6680	7000
12.	Karnataka (Old/		
	New Mangalore,		
	Karwar etc.)*	6980	7300
	Rest of Karnataka	6680	7000
13.	Andhra Pradesh		
	(Kakinada, Vizag)*		
	Rest of Andhra	6980	7300
	Pradesh	6680	7000
14.	West Bengal		
	(Calcutta, Haldia)*	6980	7300
	Rest of West Bengal	6680	7000
15.	Orissa (Paradeep)*	7040	7350
	Rest of Orissa	6740	7050
16.	Bihar	6680	7000

* These rates would be applicable within 50 kms. from the port as well as in the case of dedicated movement by rail undertaken by the FCI towards port town godowns/rail heads or any other destination (e.g. in Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal etc.,) where sales/deliveries would be effected by FCI as desired by the exporters.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देने के आदेश

1364. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कार्यरत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग और विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों ने आदेश दिया है कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा दिया जाये;

(ख) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान देश भर के सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए मुआवजे की राशि के बारे में कोई आंकड़े संकलित किए हैं;

(ग) क्या सरकार सरकारी अधिकारियों की और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को मुआवजा दिए जाने के मामलों में मुआवजे की राशि को राजकोष के स्थान पर संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अपने नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गठित न्यायालय प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करने में सक्षम हैं। केन्द्रीय सरकार देश भर में विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में कोई समेकित आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) और (घ) इस समय इस संबंध में इन नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या जब कभी न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय किया जाता है तो संबंधित विभाग विद्यमान नियमों के तहत कार्रवाई करता है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कमाया गया लाभ

1365. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम गत तीन वर्षों से लाभ कमा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है